W.S. 1-

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0 ।

पत्रांक:गुण0वि0/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 रिवैंपिंग/1955/2014–15 दि0 30 जुलाई, 2014

विषयः–**सह समन्वयक विषयक पत्रांक : गुण0वि0/बी0आर0सी0–एन0पी0आर0सी0 कानपुर मण्डल/4727/2014–15 दिनॉक 10 जनवरी, 2014 के संबंध में।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–गुण0वि0/बी0आर0सी0– एन0पी0 आर0सी0 कानपुर मण्डल/4727/2014–15 दिनॉक 10 जनवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपदों को यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर कार्यरत सह–समन्वयक यदि सहायक अध्यापक पद से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तो वह सह–समन्वयक पद पर यथावत नहीं रह सकते।

उक्त निर्देश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–25987/2014 संतोष कुमार तिवारी व 11 अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 29 मई, 2014 और रिट याचिका संख्या–34770/2014 रामकृष्ण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 15 जुलाई, 2014 के आलोक में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–गुण0वि0/बी0आर0सी0– एन0पी0आर0सी0 कानपुर मण्डल/4727/2014–15 दिनॉक 10 जनवरी, 2014 पर पुनर्विचार किया गया।

सूच्य है कि परिषदीय अध्यापकों की सेवाशर्तों यथा–पदस्थापन एवं पदोन्नति संबंधी नियमों का निर्धारण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। सह–समन्वयकों के चयन एवं पदस्थापन विषयक शासनादेश संख्या–3903/79–5–2010–424/02 टी0सी0 दिनॉक 02 फरवरी, 2011 में बी0आर0सी0 सह–समन्वयकों का कार्यकाल 03 वर्ष निर्धारित किया गया है तथा कार्य संतोषजनक होने पर 03 वर्ष की अवधि पुनः बढ़ाये जाने का प्राविधान है। इस शासनादेश में पदोन्नति के कारण किसी अध्यापक को सह–समन्वयक के पद से हटाने का उल्लेख नहीं है। चूँकि सह–समन्वयक पद पर

दूरभाष: 2780995 **फैक्स:** 0522-2781123, 2780998 **ई-मेल:** *spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com* **वेब-साइट:** *www.upefa.com*

चयन/नियुक्ति हेतु सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्ह हैं। अतः सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की दशा में अनुमन्य सीमा से अधिक व्ययभार भी उत्पन्न नहीं हो रहा है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक–गुण0वि0/बी0आर0सी0– एन0पी0आर0सी0 कानपुर मण्डल/4727/2014–15 दिनॉक 10 जनवरी, 2014 वापस लिया जाता है। तदनुसार ब्लाक संसाधन केन्द्र सह–समन्वयक के पद पर चयन/नवीनीकरण की कार्यवाही संपादित करायी जाये।

भवदीया,

20/7/2014

(कुमुदलता श्रीवास्तव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गुण0वि0/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 रिवैंपिंग/1955/2014–15 तददिनॉक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।

(डॉ0 शुभ्र ज्योत्सना त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक